



अनुविभागीय अधिकारी

तहसील - करेरा
जिला - शिवपुरी, मध्यप्रदेश

(अनुसूचित जाति का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र)

प्रकरण क्रमांक 21745/15-16/बी - 121/जाति प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र क्रमांक : RS/423/0104/132/2016

दिनांक : 19/02/2016

प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी अनीता जाटव पुत्री श्री सुखलाल (पिता) एवं श्रीमती हसमुखी (माता) ग्राम कलोथरा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) जाटव जाति की सदस्य हैं। उनकी जाति संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 14 पर निम्नलिखित के तहत विनिर्दिष्ट की गई है:-

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950.
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976

कुमारी अनीता जाटव पुत्री श्री सुखलाल सामान्यतः (Ordinarily) ग्राम कलोथरा, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी (मध्यप्रदेश) की निवासी हैं।

स्थान : करेरा

दिनांक : 19/02/2016

आधार नंबर :

समग्र नं :

तहसील - करेरा

शास. महाविद्यालय करेरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

संजीव जैन

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रमाण पत्र म.प्र. शासन की Digitally Signed document repository [www.mpedistrict.gov.in](http://mpedistrict.gov.in) से डाउनलोड किया गया है। प्रमाण पत्र पर सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
2. यह प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत मान्य है।
3. प्रमाण पत्र का सत्यापन पंजीयन क्रं RS/423/0104/132/2016 के द्वारा वेबसाइट <http://mpedistrict.gov.in> के माध्यम से किया जा सकता है।

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार,

टप्पा/तहसील करेरा जिला शिवपुरी

प्र.क्र. RS/423/0110/459/2016 /बी-121/2016

दिनांक 19/01/2016

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. ANEETA JATAV पिता/पति SUKHLAL निवासी KALOTHARA, Kalothara, Karera, शिवपुरी तहसील करेरा जिला (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील जाप दिनांक 20/12/2011 में निर्धारित मापदण्ड की कण्डिका क्रमांक (ii) की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है।

2. * प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011 दिनांक 20/12/2011 के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है -

(1) आवेदक की पत्नी का नाम आयु वर्ष है।

(2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री एवं आयु

टीप :- यह प्रमाण पत्र जाति निर्धारण के लिए जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण पत्र की जाँच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा।

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र के आधार पर जारी)



हस्ताक्षर

तहसीलदार/नायब तहसीलदार,

तहसील करेरा

जिला शिवपुरी

प्राचार्य
शास. महाविद्यालय करेरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

* लागू होने पर काट दें।



नोट :- पंजीयन क्रमांक : RS/423/0110/459/2016 जारी सर्टिफिकेट का सत्यापन वेबसाइट lokseva.gov.in अथवा mpdistrict.gov.in पर यह पंजीयन क्रमांक देकर किया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंटआउट वेबसाइट www.mpdistrict.gov.in से मेरे द्वारा निकाला गया है।

हस्ताक्षर